# 13

## आर्थिक उत्प्रवास

13.1 आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रवास की। प्रवास का अर्थ है कौशल, संस्कृतियों, परम्पराओं, परिवारों और आशाओं का संचलन-संक्षेप में यदि कहें तो मानव जीवन की जटिलताओं का संचलन। विदेश में रोजगार हेतु प्रव्रजन, बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को अर्थपूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाने का अवसर प्रदान करता है। अनुमान है कि देश में लगभग 9 मिलियन बेरोजगार व्यक्ति हैं तथा दूसरे 20 मिलियन अल्प-रोजगार वाले होने का अनुमान है। विदेश में रोजगार हेतु प्रमुख कारक आर्थिक रहा है।

### उत्प्रवास का रुख

**13.2 पहले भारतीय कामगारों का गंतव्य स्थल मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., कनाडा और अन्य विकसित देश थे। 7वें दशक के मध्य में पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में तेल की गर्मबाजारी ने उत्प्रवास का रंग ही बदल दिया। 1973-74 के दौरान और उसके पश्चात तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, विकास कार्यक्रम जिनमें सड़कों का निर्माण और स्कूलों, अस्पतालों, आवासों, हवाई अड्डों, कार्यालय तथा वाणिज्यिक परिसरों आदि जैसी सुविधाओं का सृजन शामिल हैं, व्यापक तौर पर शुरू किए गए। इसके परिणामस्वरूप न केवल अत्यधिक कुशल तकनीकी विशेषज्ञों की ही मांग बढ़ी, बल्कि अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की मांग भी बढ़ी । भारत इन उभर रही मांगों को पूरा करने हेतु अच्छी स्थिति में था। अतः,पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्प्रवासी कामगारों का मुख्य बहिर्गमन स्थान खाड़ी के देश रहे हैं जहां अनुमानतः 4 मिलियन कामगार नियोजित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों में ऐसे कामगारों की संख्या जिन्हें विदेशों में ठेकागत नियोजन के लिए उत्प्रवास की अनुमति दी गई है तथा श्रम बहिर्गमन के वितरण संबंधी आंकड़े सारणी 13.1, 13.2 और 13.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।**

**13.3 मध्य पूर्व के तेल निर्यात करने वाले देशों में अधिकांश प्रवासी अर्धकुशल और अकुशल कामगार हैं तथा उनमें से अधिकांश अस्थायी प्रवासी होते हैं जो ठेकागत नियोजन की अवधि के पश्चात भारत लौट जाते हैं । वर्ष 1999 के दौरान यह देखा गया है कि अन्य देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने के लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में विभिन्न कारकों के कारण गिरावट आई है । इस गिरावट का प्राथमिक तौर पर कारण खाड़ी देशों की सरकारों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना, सजातीय संतुलन बनाये रखना, विभिन्न परियोजनाओं का पूरा होना तथा बीजा जारी करने से पूर्व अधिक सख्ती से संवीक्षा किया जाना है। हाल ही में खाड़ी के कुछ देशों ने अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए वीजा जारी करने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं । तथापि, वर्ष 2000 की बाद की छमाही में स्थिति में सुधार हुआ है । प्रदान की गई उत्प्रवास अनुमति की संख्या में वर्ष 2003 के दौरान (4.66 लाख) की तुलना में वर्ष 2004 में (4.75 लाख ) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।**

### प्रेषण

**13.4 भारतीय कामगारों के विदेशी रोजगार से विदेशी मुद्रा अर्जित करने और उससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सहायता मिलती है । वर्ष 1999-2000 से विदेशी मुद्रा का निजी हस्तान्तरण सारणी 13.4 में दिया गया है। जैसा कि सारणी से देखा जा सकता है कि मुद्रा प्रेषण में 1999-2000 में 53,280 करोड़ से लेकर 2004-2005 में 50,489 करोड़ रु. (30 सितम्बर) तक निरन्तर वृद्धि हुई है। यह अनुमान है कि खाड़ी देशों, मलेशिया और सिंगापुर में कार्य करने वाले अकुशल और अर्द्ध-कुशल कामगारों की बढ़ती हुई संख्या का इसमें प्रमुख योगदान है ।**

### कानूनी ढाँचा

**13.5 भारत में सभी विषयों-चाहे सूचना-प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा हो अथवा विज्ञान, अकेडेमिक्स आदि-में भली-भांति प्रशिक्षित तकनीक जनशक्ति का विपुल भंडार है । हाल के वर्षों में, बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रोजगार प्राप्त करने में समर्थ रहे हैं । सरकार की भूमिका अधिक से अधिक व्यक्तियों को देश के भीतर**

**तथा बाहर दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाना है । ऐसा करते समय, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 सरकार का मार्गदर्शन करता है ताकि अकुशल, अर्धकुशल कामगारों**

**की कमजोर श्रेणियों और नौकरानियों तथा घरेलू कामगारों के रूप में कार्य करने हेतु विदेश जाने वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जा सके । उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए तथा आकस्मिकताओं की व्यवस्था करने के लिए चिकित्सा संरक्षण और बीमा सहित मर्यादित कार्य और रहन-सहन की दशाएं सुलभ करवायी जानी चाहिए ।**

**13.6 30 दिसम्बर, 1983 से प्रभावी उत्प्रवास अधिनियम, 1983 भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और दिनांक 20.3.1979 के आदेश (कंगा बनाम भारतीय संघ व अन्य) द्वारा निरूपित दिशानिर्देशों को अपनाते हुए संविदात्मक आधार पर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय श्रमिकों का उत्प्रवास और उनके हितों की सुरक्षा तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक संरचना का प्रावधान करता है । अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी भर्ती एजेन्ट श्रम मंत्रालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती संबंधी व्यवसाय कर सकते हैं । भर्ती एजेन्ट की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता, परिसरों की पर्याप्तता, श्रम बल निर्यात के क्षेत्र में उनके अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए और बैंक गारंटी के रूप में 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की प्रतिभूति प्राप्त करने के बाद उत्प्रवास महासंरक्षी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । प्रतिभूति की दरें नीचे दिये गए अनुसार हैं :-**

(i) **300 कर्मकारों तक - 3 लाख रुपए।**

(ii) **301 से 1000 कर्मकार तक - 5 लाख रुपए।**

(iii) **1001 कर्मकार और अधिक - 10 लाख रुपए।**

13.7 प्रतिभूति प्राप्त करने का प्रावधान, पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का समुचित निष्पादन किए जाने को सुनिश्चित करने और किसी कामगार के विदेश में संकटग्रस्त होने की दशा में आकस्मिकताओं से निपटने के लिए किया गया है । उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 16 के अधीन कोई नियोजक भारत अधीन संबंधित भारतीय दूतावास या श्रम मंत्रालय द्वारा जारी वैध परमिट प्राप्त करके सीधे भर्ती कर सकता है। भारतीय श्रमिकों का नियोजन भारतीय परियोजना **निर्यातकों द्वारा विदेशों में चलाई जा रही परियोजनाओं में भी किया जाता है । भर्ती एजेन्टों को प्रत्येक कामगार से सेवा प्रभारों के रूप में निम्नलिखित दरों पर वसूली करने के लिए प्राधिकृत किया गया है :-**

| श्रेणी | अधिकतम सेवा प्रभार |
|---|---|
| (i) अकुशल कर्मकार | 2,000/- रुपये |
| (ii) अर्द्धकुशल कर्मकार | 3,000/- रुपये |
| (iii) कुशल कर्मकार | 5,000/- रुपये |
| (iv) उपर्युक्त के अलावा | 10,000/- रुपये |

13.8 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उत्प्रवास अनुमति की प्रक्रिया को धीरे-धीरे विकेन्द्रित किया है। इस समय यह कार्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चण्डीगढ़, कोचीन, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम स्थित उत्प्रवास संरक्षी के आठ कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । जनसम्पर्क को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उत्प्रवास संरक्षी के सभी आठों कार्यालय सप्ताह में छः दिन कार्य करते हैं।

**उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित (ई.सी.आर.) वर्ग**

**13.9 यदि उन वर्गों के व्यक्ति, जिनके पासपोर्ट पर 'उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित'(ई.सी.आर.) पृष्ठांकित किया गया है, गैर-रोजगार उद्देश्यों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा 'निलंबन' प्राप्त करना आवश्यक है । 'निलंबन' प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र, वापसी टिकट और गैर-रोजगार वीजा सहित पासपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है । आठ उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय तथा कुछ अन्य प्राधिकृत पासपोर्ट कार्यालय उसी दिन उक्त 'निलंबन' प्रदान करते हैं । भारतीय मिशनों को भी 'निलम्बन' की अवधि के विस्तार की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । प्रमुख रूप से पर्यटक के रूप में विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति तथा ई.सी.आर. पृष्ठांकन वाले पासपोर्टधारी व्यक्ति ऐसे 'निलंबन'प्राप्त करते हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा प्रदान किए गए कुल 'निलंबनों' की संख्या सारणी**

के किसी नागरिक को, विदेशी रोजगार के लिए, पंजीकृत भर्ती एजेन्ट के माध्यम से अथवा उत्प्रवास अधिनियम की धारा 15 के

**13.5 में नीचे दर्शायी गयी है :-**

**उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं वर्ग (ई.सी.एन.आर.)**

**13.10 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक तब तक देशांतर नहीं करेगा जब तक वह उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। तथापि, आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से विनियामक तंत्र को धीरे धीरे उदार बनाया गया है । इस समय 14 श्रेणी के व्यक्तियों को इस अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है और इन्हें 'उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित नहीं' (ई.सी.एन.आर.) वर्ग के अधीन रखा गया है (सारणी 13.6) । इन श्रेणियों में किसी से भी संबंधित व्यक्ति अपनी पात्रता के प्रमाण को दर्शाकर पासपोर्ट कार्यालयों से अपने पासपोर्टों पर ई.सी.एन.आर. के स्टाम्प को लगवाने के लिए पात्र हैं । अपने पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. पृष्ठांकन वाले लोगों को उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय से कोई अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ।**

13.11 उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित 6 श्रेणियों में से किसी एक से संबंध रखने और अपने पासपोर्ट पर वैध रोजगार वीजा पृष्ठांकित वाले कामगार अपने पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. पृष्ठांकन के लिए पंजीकृत भर्ती एजेन्ट के माध्यम से संबंधित उत्प्रवास संरक्षी के पास जा सकते / सकती हैं:-

**(1) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय के);**
**(2) कुशल कामगार (सभी व्यवसाय के);**
**(3) अर्द्ध-कुशल कामगार (सभी व्यवसाय के);**
**(4) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक;**
**(5) स्टेनोग्राफर, स्टोरकीपर, टाइमकीपर, टाइपिस्ट आदि सहित सभी श्रेणियों के लिपिकीय कामगार आदि; तथा**
**(6) घरेलू कार्यों में (रसोइए के रूप में) रोजगार की तलाश करने वालों को छोड़कर रसोइए ।**

**13.12 बंगलादेश, पाकिस्तान और उत्तरी अमरीका और यूरोप (कुछ सी.आई.एस. देशों को छोड़कर) सहित 54 देशों को जाने वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास अनुमति संबंधी औपचारिकताओं से छूट दी गई है । सऊदी अरब में हज और उमराह के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों और सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, ईराक, जोर्डन, मिस्र और साना (यमन) में जियारत करने के घोषित उद्देश्य से जाने वाले तीर्थयात्रियों को उत्प्रवास संरक्षी/पासपोर्ट कार्यालयों से 'उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित' से ''निलंबन'' प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है । 2003-04 के दौरान एक व्यापक समीक्षा के बाद-चार और देशों अर्थात द. अफ्रीका, द. कोरिया, सिंगापुर और थाइलैण्ड को भी ''उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं'' श्रेणी में शामिल किया गया है । जिन देशों के संबंध में उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है उनकी पूर्ण सूची सारणी 13.7 में दी गयी है ।**

**भर्ती एजेंट**

**13.13 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन भर्ती एजेंटों का पंजीकरण जनवरी, 1984 से शुरू किया गया और तब से 31 दिसम्बर, 2004 तक उत्प्रवासी महासंरक्षी के कार्यालय द्वारा 4263 भर्ती एजेंटों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए थे । इस संख्या में उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में स्थापित नौ राज्य जनशक्ति निर्यात निगम शामिल हैं । तथापि, फिलहाल वैध प्रमाण पत्रों के साथ केवल 1425 भर्ती एजेंट इस व्यवसाय में लगे हुए हैं । अधिकांश भर्ती एजेंट मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और तिरुवनन्तपुरम में है।**

**परियोजनाओं के लिए जनशक्ति निर्यात**

**13.14 विदेशों में परियोजनाएं चलाने वाली कंपनियों को विदेश में कामगार ले जाने के लिए उत्प्रवास अनुमति दिये जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक/वाणिज्य मंत्रालय से समुचित अनुमति प्राप्त करनी होती है । जब परियोजना निर्यातक, कामगारों को एक समूह में भेजने का प्रस्ताव करते हैं तब नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर 20,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक की बैंक गारंटी देनी होती है । यह प्रावधान विदेश में कार्य करते समय कामगारों को पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं ।**

**13.15 25.12.2003 से प्रवासी भारतीय बीमा योजना आरंभ होने के बाद सीधे अथवा विदेशी नियोजक के माध्यम से भर्ती किए गए व्यक्तिगत आधार पर विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए कोई प्रतिभूति राशि जमा करना अपेक्षित नहीं है ।**

**शिकायतों का निपटान**

13.16 नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप जहाँ विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं कई उत्प्रवासी कामगारों को कठिनाइयां होती हैं। मजदूरी का भुगतान न करने/ विलम्ब से भुगतान करने, कामगारों के ठेके में एकतरफा परिवर्तन करने, अपनी मर्जी से भिन्न कार्य पर लगाने के संबंध में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त होती है। कई मामलों में कामगारों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता और विदेश में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे कामगार कठिनाइयों का सामना करने के साथ-साथ हमारे मिशनों पर भार भी बन जाते हैं। ऐसे मामलों में, उत्प्रवास महासंरक्षी कार्रवाई करता है और संबंधित भर्ती एजेंट से उसके खर्चे पर उन कामगारों को वापस भिजवाता है। यदि भर्ती एजेंट ऐसा नहीं करता तो उसकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाती है और उस राशि से कामगारों को वापस भेजने के व्यय की पूर्ति की जाती है।

**13.17 भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उत्प्रवास संरक्षियों और संबंधित भारतीय मिशन की सहायता से की जाती है तथा उत्प्रवास अधिनियम,1983 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की जाती है। गैर-पंजीकृत एजेन्टों के विरुद्ध शिकायत जांच के लिए और स्थानीय कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दी जाती है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को भी सलाह दी गयी है कि वे अनैतिक एजेन्टों की गतिविधियों पर सख्त नज़र रखने के लिए पुलिस स्टेशन तक के स्तर पर अनुदेश जारी करें। विदेशी नियोजकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को भारतीय मिशनों के साथ उठाया जाता है तथा आवश्यक होने पर नियोजक का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है। गलती करने वाले एजेन्ट का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित और रद्द करके तथा बैंक गारन्टी को जब्त करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। वर्ष 2004 के दौरान 23 एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित/निरस्त किए गए हैं। विदेश में भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप मलेशिया और कतर तथा कुवैत इत्यादि में इक्कीस नियोजकों के नाम काली सूची में डाले गए हैं।**

**13.18 उत्प्रवास महासंरक्षी, श्रम मंत्रालय सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को 11.30 पूर्वाह्न से 12.30 अपराह्न तक श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आम सुनवाई करते हैं। प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए नियत दिनों पर अधिकारियों से मिल सकते हैं। वर्ष 2004 के दौरान इन आम सुनवाइयों के दौरान लगभग 1585 याचिकाओं / अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की गई तथा उन सबका निपटान किया गया । उत्प्रवास संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों द्वारा उचित ढंग से व्यवहार किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी सतर्कता बरती जाती है।**

**वापस आने वाले प्रवासियों का पुनर्वास**

13.19 वापस आने वाले प्रवासियों में स्व-रोजगार, कौशल बढ़ाने अथवा मजदूरी प्रदत्त रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए राज्य सरकारों से समितियाँ गठित करने का अनुरोध किया गया था । आंध्र प्रदेश, दिल्ली और केरल स्थित वित्तीय और औद्योगिक विकास निगम और अन्य समितियाँ भी वापस आने वाले प्रवासियों को उनके द्वारा प्रायोजित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देती हैं ।

**प्रवासी भारतीय बीमा योजना**

**13.20 दिनांक 9.1.2003 को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना आरंभ करने की घोषणा की थी । इस घोषणा के अनुसरण में दिनांक 13.11.2003 को प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003 नामक अनिवार्य बीमा योजना अधिसूचित की गयी थी । यह योजना 25 दिसम्बर, 2003 को प्रभावी होगी तथा भारत के केवल उन नागरिकों पर लागू होगी जिनके लिए उत्प्रवास अनुमति लेना अपेक्षित है ।**

**अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय**

**13.21 यह समझा गया है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों और साथ ही राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। अतः, अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। समिति की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं जिससे समस्या वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके और सरकार तथा जनता के बीच बेहतर सम्पर्क हो सके। श्रम और रोजगार, विदेश**

और गृह जैसे प्रमुख मंत्रालय समिति में शामिल हैं। समिति को आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित मंत्रालयों/ संगठनों को भी बैठक में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है।

**भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन**

**13.22 राष्ट्रीपति भवन द्वारा जारी दिनांक 15.12.2004 की अधिसूचना की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रविष्टि 22 को हटा दिया गया है और ‘‘उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अंतर्गत भारत से विदेशी राष्ट्रों को सभी प्रवजन तथा प्रवासियों की वापसी ’’ विषय को श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है । अधिसूचना की प्रति संलग्न है।**

**सारणी 13.1**

**पिछले पांच बर्षों के दौरान नियोजन के लिए उत्प्रवास**

| वर्ष | कामगारों की संख्या (लाखों में) |
|---|---|
| 2000 | 2.43 |
| 2001 | 2.79 |
| 2002 | 3.68 |
| 2003 | 4.66 |
| 2004 | 4.75 |

**सारणी 13.2**

**वर्ष 2000-2004 के दौरान भारत से विभिन्न देशों को गये श्रमिकों का वार्षिक विवरण**

| क्रम संख्या | देश | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संयुक्त अरब अमीरात | 55099 | 53673 | 95034 | 143804 | 175262 |
| 2. | सऊदी अरब | 58722 | 78048 | 99453 | 121431 | 123522 |
| 3. | कुवैत | 31082 | 39751 | 4859 | 54434 | 52064 |
| 4. | ओमान | 15155 | 30985 | 41209 | 36816 | 33275 |
| 5. | मलेशिया | 4615 | 6131 | 10512 | 26898 | 31464 |
| 6. | बहरीन | 15909 | 16382 | 20807 | 24778 | 22980 |
| 7. | कतर | -- | 13829 | 12596 | 14251 | 16325 |
| 8. | लीबिया | 1198 | 334 | 1339 | 2796 | 2303 |
| | अन्य | 61402 | 39531 | 81854 | 41248 | 17765 |
| | कुल | 243182 | 278664 | 367663 | 466456 | 474960 |

**सारणी 13.3**

| 2000-2004 वर्षों के दौरान कामगारों को प्रदान किए गए उत्प्रवास अनुमति/उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं पृष्ठांकन के राज्यवार आंकड़े | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| आन्ध्र प्रदेश | 29,999 | 37,331 | 38,417 | 65,971 | 72,580 |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 61 | 73 |
| असम | 0 | 1,575 | 2,666 | 2,298 | 2,695 |
| बिहार | 6,726 | 9,711 | 19,222 | 17,104 | 21,812 |
| चंडीगढ़ | 2,045 | 2,435 | 2,813 | 2,374 | 2,405 |
| छत्तीसगढ़ | - | - | 0 | 588 | 580 |
| दिल्ली | 3165 | 3183 | 4,018 | 6,513 | 6,052 |
| गुजरात | 5,722 | 10,294 | 11,925 | 17,012 | 22,218 |
| गोवा | 1,331 | 2,255 | 3,545 | 3,494 | 7,053 |
| हरियाणा | 52 | 154 | 424 | 1,246 | 1,267 |
| हिमाचल प्रदेश | 214 | 116 | 1,724 | 1,690 | 1,506 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 35 | 1366 | 1,323 | 42 | 1,944 |
| झारखंड | - | - | 0 | 1,779 | 919 |
| कर्नाटक | 10,927 | 10,095 | 14,061 | 22,641 | 19,237 |
| केरल | 69,630 | 61,548 | 81,950 | 92,044 | 63,512 |
| मध्य प्रदेश | 1,706 | 5,035 | 7,411 | 10,651 | 8,888 |
| महाराष्ट्र | 13,346 | 22,713 | 25,477 | 29,350 | 28,670 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 2 | 50 | 29 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 81 | 38 |
| नागालैण्ड | 0 | 0 | 1 | 54 | 46 |
| उड़ीसा | 576 | 3,014 | 1,742 | 5,370 | 6,999 |
| पांडिचेरी | 35 | 21 | 21 | 24 | 560 |
| पंजाब | 10,025 | 12,422 | 19,638 | 24,963 | 25,302 |
| राजस्थान | 10,170 | 14,993 | 23,254 | 37,963 | 35,108 |
| सिक्किम | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| तमिलनाडु | 63,878 | 61,649 | 79,165 | 89,464 | 1,08,964 |
| त्रिपुरा | 0 | 2 | 1,114 | 4 | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 9,157 | 13,912 | 19,288 | 24,854 | 27,428 |
| उत्तरांचल | - | - | 106 | 122 | 58 |
| पश्चिम बंगाल | 1,940 | 4,830 | 8,338 | 8,906 | 8,986 |
| अन्य | 2,164 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 1,99,552 | 278,664 | 3,67,663 | 4,66,456 | 4,74,960 |

स्रोतः उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय

**सारणी-13.4**

**निजी संप्रेषण**

| **वर्ष** | **मिलियन अमेरिकी डालर में** | **करोड़ रुपये में** |
|---|---|---|
| **1999-2000** | **12290** | **53280** |
| **2000-2001** | **12873** | **58756** |
| **2001-2002** | **12125** | **57821** |
| **2002-2003** | **14807** | **71642** |
| **2003-2004** | **18885** | **86764** |
| **2004-2005*** | **11114** | **50489** |

*30.09.2004 तक

**सारणी-13.5**

| **उत्प्रवास अनुमति का निलंबन** | |
|---|---|
| **वर्ष** | **प्रदान किए गए निलंबनों की संख्या (लाखों में)** |
| **2000** | **3.63** |
| **2001** | **3.98** |
| **2002** | **4.37** |
| **2003** | **4.96** |
| **2004** | **4.49** |

सारणी 13.6

उन व्यक्तियों/ कर्मकारों के वर्गों की सूची जिनके मामले में उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित नहीं है

| | |
|---|---|
| 1. | सभी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारक । |
| 2. | सभी सरकारी राजपत्रित अधिकारी । |
| 3. | सभी आयकर दाता (कृषि आयकर दाता सहित) द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में । |
| 4. | सभी व्यावसायिक डिग्री प्राप्त व्यक्ति जैसे एम.बी.बी.एस. अथवा आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्रीधारी डॉक्टर, प्रत्यायित पत्रकार, इंजीनियर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, लैक्चरर्स, अध्यापक, वैज्ञानिक, अधिवक्ता आदि । |
| 5. | (2) से (4) में वर्गीकृत व्यक्तियों के पति/पत्नी और आश्रित बच्चे । |
| 6. | ऐसे व्यक्ति जिनके पास डिप्लोमा 10+2 योग्यता या उच्चतर डिग्री हो । |
| 7. | ऐसे नाविक जो सी.डी.सी के धारक अथवा समुद्री सैनिक, डैस्क कैडेट हों (i) जो टी.एस.चाणक्य, मुंबई से तीन-वर्षीय बी.एस.सी. नॉटिकल विज्ञान पाठ्क्रम उत्तीर्ण हों; और (ii) जिन्होंने शिपिंग मास्टर, मुंबई/ कोलकाता/चेन्नई द्वारा जारी पहचान पत्रों को प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों यथा टी.एस.चाणक्य, टी.एस.रहमान, टी.एस.जवाहर, एम.टी.आई. (एस.सी.आई) तथा एन..आई.पी.एम., चेन्नई से तीन माह का पूर्व-समुद्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । |
| 8. | ऐसे माता-पिता के आश्रित बच्चे, जिनके पासपोर्ट ई.सी.एन.आर. के रूप में वर्गीकृत हैं । ऐसे बच्चों के मामलों में उनके द्वारा 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ई.सी.एन.आर. वर्गीकरण सीमित किया जाए । |
| 9. | ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्थायी अप्रवासी वीजा हो जैसे यू.के., अमरीका और आस्ट्रेलिया में । |
| 10. | राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से दो वर्षीय द्विप्लोमा धारक व्यक्ति अथवा केन्द्र/ राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निकों जैसी संस्थाओं से तीन वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष डिग्री धारक व्यक्ति । |
| 11 | ऐसी नर्से जिनके पास भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हता हो। |
| 12. | 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति । |
| 13. | वे सभी व्यक्ति जो तीन वर्ष से ज्यादा से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्ष की अवधि चाहे वह लगातार हो या विच्छिन्न हो) तथा पति/पत्नी और ऐसे व्यक्तियों के 24 वर्ष तक की आयु के बच्चे । |
| 14. | 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बशर्तेकि वे माता पिता में से किसी एक अथवा दोनों के साथ हों । |

सारणी 13.7

उन देशों की सूची जिनके लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अल्बानिया | 19. | हंगरी | 37. | पुर्तगाल |
| 2. | आस्ट्रेलिया | 20. | आयरलैंड | 38. | रोमानिया |
| 3. | आस्ट्रिया | 21. | आइसलैंड | 39. | सैन मारिनो |
| 4. | बाहमास | 22. | इटली | 40. | स्लोवाक गणराज्य |
| 5. | बंगलादेश | 23. | जापान | 41. | स्पेन |
| 6. | भूटान | 24. | लातविया | 42. | स्वीडन |
| 7. | बुल्गारिया | 25. | लाइचटैंसटेन | 43. | स्विटरजरलैंड |
| 8. | कनाडा | 26. | लिथुआनिया | 44. | दी होलीसी |
| 9. | साइप्रस | 27. | लक्समबर्ग | 45. | टर्की |
| 10. | चैक गणराज्य | 28. | माल्टा | 46. | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 11. | डेनमार्क | 29. | मैक्सिको | 47. | इंग्लैंड |
| 12. | ऐस्टोनिया | 30. | मोनाको | 48. | वेटिकन सिटी |
| 13. | फिनलैंड | 31. | नेपाल | 49. | यूगोस्लाविया |
| 14. | फ्रांस | 32. | नीदरलैंड | 50. | बेल्जियम |
| 15. | जर्मनी | 33. | न्यूजीलैंड | 51. | दक्षिण कोरिया |
| 16. | जिब्राल्टर | 34. | नार्वे | 52. | दक्षिण अफ्रीका |
| 17. | ग्रीस | 35. | पाकिस्तान | 53. | सिंगापुर |
| 18. | ग्रीनलैंड | 36. | पोलैंड | 54. | थाईलैंड |

अनुबंध

(भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

**डाकःसी.डी.-492/2004** **राष्ट्रपति भवन,**

**नई दिल्ली**

**अधिसूचना**

दिनांक 15 दिसम्बर, 2004

**सां.आ.------- (अ.)- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-**

**1. (1) इन नियमों को भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ अठत्तरवाँ संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जायगा ।**

**(2) वे तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।**

**2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,-**

**(क) ''वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत, उप-शीर्षक ''ख, औद्योगिक नीति और संबर्धन विभाग'' उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 21 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-**

**''21.औद्योगिक एवं सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी निवेश, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर '' ;**

**(ख) ''उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय'' 'शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 10 के पश्चात्, निम्नलिखित ''नोट''जोड़ा जाएगा, अर्थातः-**

**''नोटः जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास एवं कल्याण क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय करेगा, संबंधित मंत्रालय/विभाग उन्हें आबंटित विषय के संबंध में उत्तरदायी होंगे '' ;**

**(ग) ''विदेश मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत,-**

**(i) प्रविष्टि 12 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-**

**''12. विदेशी छोत्रों को छात्रवृत्ति, भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत में अध्ययन हेतु अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के छात्रों को छात्रवृत्ति को छोड़कर '' ; तथा**

**(ii) प्रविष्टि 22 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-**

**''22. बाह्य प्रचार, विदेशी भारतीयों के कार्यों से संबंधित ऐसे प्रचार को छोड़कर '' ;**

**(घ) ''वित्त मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत, ''आर्थिक कार्य विभाग'' उप-शीर्षक के अंतर्गत,-**

**(i) प्रविष्टि 4 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-**

**''4. विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों तथा औद्योगिक एवं सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश तथा अनिवासी भारतीय निवेश को छोड़कर'' ;**

**(ii) प्रविष्टि 19 के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-**

**''19. भारत में विदेशी स्वयंसेवकों के कार्यक्रमों से संबंधित मामले, आने वाले संयुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवकों सहित किन्तु भारत में विदेशी प्रवासी स्वयंसेवकों तथा यू.एन.वी.के अंतर्गत बाहर जाने वाले स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रमों को छोड़कर'';**

**(ङ) ''श्रम और रोजगार मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 22 हटा दी जाएगी ;**

**(च) ''प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय'' शीर्षक के अंतर्गत, विद्यमान प्रविष्टि 1 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-**

**''1. प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामलों में अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित प्रविष्टियों को छोड़कर भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीय शामिल हैं ।**

2. प्रवासी भारतीयों के लिए खासकर अलग से विशिष्ट आर्थिक जोनों जैसे क्षेत्रों के समग्र सरकारी नीतियों के अनुरूप नवाचारी निवेशों तथा नीतिगत पहलों सहित भारत में प्रवासी भारतीयों के द्वारा निवेश संवर्धन ।
3. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड तथा विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व दिया जाना।
4. निवेश आयोग के साथ संपर्क करना और उक्त आयोग द्वारा परामर्श किया जाना तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सभी मामलों के बारे में सूचित किया जाना ।
5. भारत से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) विदेशी राष्ट्रों को सभी प्रव्रजन और प्रवासियों की वापसी।
6. प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार तथा प्रवासी भारतीय केन्द्र से संबंधित मामले।
7. भारत में विदेशी भारतीय स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रमों से संबंधित मामले ।
8. विदेश में भारतीयों की बहुलता वाले देशों में विदेश मंत्रालय के परामर्श और समन्वय से विदेश में भारतीयों के मामलों के लिए प्रशासन केन्द्र की स्थापना ।
9. सरकारी सेवा में आरक्षण को छोड़कर पी.आई.ओ./एन.आई. को रोजगार सहायता के बारे में नीति ।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से एन.आर.आई./पी.आई.ओ. के लिए जहाँ कहीं विवेकाधीन कोटा हो वहाँ एन.आर.आई./पी.आई ओ. छात्रों को भारत में विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं में दाखिले से संबंधित सूचना का संकलन और प्रचार-प्रसार।
11. एन.आर.आई./पी.आई.ओ. के छात्रों को विदेश मंत्रालय के परामर्श से भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति देना ।
12. प्रवासी भारतीय समुदाय तथा भारत के बीच मजबूत संबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विपणन तथा संचार संबंधी रणनीतियों का विकास ।
13. आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से सरकारी तथा पैतृक संगठनों को एन.आर.आई./पी.आई.ओ. से संबंधित मामले।
14. प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों का मार्गदर्शन तथा सहयोग और उनके साथ समन्वय ।
15. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाना।
16. विदेश में कुशल जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहमति से व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना ।
17. विदेश मंत्रालय के परामर्श और विदेशी नीति संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप प्रवासी भारतीयों के मामलों से संबंधित बाह्य प्रचार ।
18. संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के साथ व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, मीडिया, युवा कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आदान-प्रदान के लिए नई पहलें ।

नोटः संबंधित मंत्रालयों द्वारा स्वयं द्वारा देखे जाने वाले प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामलों जैसे पी.आई.ओ. कार्ड योजना, दोहरी नागरिकता से संबंधित मुद्दों, प्रवासी भारतीयों के गैर-सरकारी संगठनों के एफ.सी.आर.ए.मामलों में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा । इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवासी भारतीयों की जमा राशियों को शासित करने वाली नीतियाँ तथा योजनाएं तैयार करते समय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करेगा ।

(छ) ''कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत, ''कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग'' उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 7 हटा दी जाएगी । ''

ह./-

(ए.पी.जे.अब्दुल कलाम)
राष्ट्रपति
(फा.सं.1/22/1/2004-मंत्रि.)

*****